श्री अमृत लाल मीणा, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मधुबनी जिला के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की दिनांक 14-4-2013 की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक में जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे । बैठक में कार्यक्रमवार निम्नवत् चर्चा हुई :-

1. SECC :- SECC के अन्तर्गत जिला में पिछले लगभग 2 महीने में तेजी से कार्य किया गया है । प्रथम चरण में 96 प्रतिशत और दूसरे चरण में 68 प्रतिशत प्रगणन के कार्य पूर्ण हो गये हैं ।

1.1 अभी तीन मुख्य समस्याएँ हैं । प्रथमत: 26 EB का Tiff दोषपूर्ण है । दूसरा बेल्ट्रॉन के द्वारा राजनगर, मधुबनी शहरी एवं जयनगर नगरक्षेत्र क्षेत्र का हार्डवेयर आपूर्ति नहीं हुई है और तीसरा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है । इन तीनों समस्या के लिए प्रथम एवं द्वितीय के लिए विभाग के स्तर से एवं तृतीय स्तर को ECIL द्वारा कार्य कराया जाना अनिवार्य है ।

1.2 अपेक्षा की गयी कि जिला प्रशासन 15 मई तक करेक्शन एवं verification मॉड्यूल का कार्य अनिवार्यत: पूर्ण करेंगे ।

2. आजीविका :- मधुबनी जिला के तीन प्रखंडों में प्रथम चरण में 2007 में कार्य लिया गया था जिन में प्राय: सभी परिवारों को स्वयं सहायता समूह का सदस्य बना दिया गया है । दूसरे चरण में 4 प्रखंड लिये गये जिसमें इस वर्ष के अन्त तक सैचुरेशन हो जाएगा तथा वर्ष 2012-13 में 8 प्रखंड लिये गये । समीक्षोपरान्त निम्नवत् कार्यबिन्दु निर्धारित किये गये :-

2.1 शुरू से अभी 9000 स्वयंसेवी सहायता समूह बने हैं । वर्ष 2013-14 हेतु रूपरेखा तैयार कर डी0पी0एम0 ने प्रस्तुत की है उससे प्रथमत: यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इस वर्ष 14000 समुह का कैसे गठन संभव हो सकेगा । उपायुक्त स्वरोजगार इस पर उचित पर्यवेक्षण करना चाहेंगे ।

2.2 एस0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह के बकाया दावा के मामले पर कार्रवाई जिला पदाधिकारी द्वारा की जानी चाहिए ।

2.3 आधारभूत संरचना के अन्तर्गत लिये गये कार्य अधूरे हैं । इनमें से बहुत बड़ी संख्या में काम विशेष कार्य प्रमंडल द्वारा लिये गये थे । यह प्रमंडल अभी स्थानान्तरित होकर सुपौल जिले में कार्यरत है । इस प्रमंडल में करोड़ों रूपये समायोजन के लिए लम्बित है । उप विकास आयुक्त 3 वर्षों से कार्यरत हैं, उनके द्वारा प्रभावकारी कार्रवाई नहीं की गयी है । निर्णय लिया गया कि जिला पदाधिकारी सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और प्रत्येक योजना को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही जो परिसम्पति सृजित है उसकी इनभेन्ट्री बनाकर उचित प्रबंधन की कार्रवाई कराएँगे ।

2.4 स्वयं सहायता समूह के मैपिंग का कार्य 95 प्रतिशत तक पूर्ण हो गया है । इन SHG में पिछले डेढ़ वर्षों से कोई गतिविधि नहीं हो रही है । आयुक्त स्वरोजगार इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

2.5 जिले में बैंकों में लम्बित असमायोजित निधि के बारे में दो महीने के अन्दर कदम उठाएँ जाएँ ।

3. **<u>इन्दिरा आवास योजना :</u>** इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कुल 437.23 करोड़ रूपये उपलब्ध थे जिसमें 259.92 व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष के अंत तक 177.31 करोड़ रूपये बच गये हैं । वर्ष 2012-13 में जिला को द्वितीय किस्त की अनुमान्य राशि नहीं मिल पायी हैं ।

3.1 उप विकास आयुक्त पिछले 3 वर्षों से पदस्थापित हैं । जिले में इतनी बड़ी राशि अव्यवहृत रहना उनकी कार्य क्षमता को प्रदर्शित करता है । जहाँ तक अव्यवहृत अवशेष राशि और अपूर्ण घर का प्रश्न है, इस पर निर्देश दिया गया है कि द्वितीय किश्त को अभियान चलाकर राशि दी जाए । जिस परिवार ने राशि लेकर कार्य नहीं किया है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए ।

3.2 वर्ष 2013-14 के दौरान आवश्यकतानुसार अतिरिक्त परिवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर प्रथम किस्त की राशि दी जाए ताकि राशि का उपयोग हो सके ।

3.3 जिला के अधिकांश प्रखंडों में अनुसूचित जाति वर्ग के शतप्रतिशत आच्छादन तथा इसके कारण नये लाभुक नहीं मिलने की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया । इस पर निर्देश दिया गया कि विभाग के द्वारा जारी दिशा निदेश के आलोक में नये लाभुकों को चिन्हित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

3.4 समीक्षा से यह भी ज्ञात हुआ कि जिला के प्रखंडों में अग्रिम लेकर कार्य नहीं कराने की प्रवृति है । इस पर रोक लगायी जाए । यह सुनिश्चित किया जाए कि आवास पूर्ण हो । इस पर कड़ाई की आवश्यकता है तदनुसार कार्रवाई की जाय ।

4. **मनरेगा** :- जिला में वर्ष 2013-14 में निजी पोखर योजना का प्रारंभिक तैयारी धीमी है । कार्यक्रम पदाधिकारी से समीक्षा के क्रम में जानकारी हुई कि अत्यन्त ही कम संख्या में योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है । बहुत कम मामलों में कार्य प्रारम्भ हुए हैं । इस पर अश्वासन दिया गया कि स्थिति में सुधार लाया जायगा । इसे जिला पदाधिकारी सुनिश्चित कराएँगे ।

4.1 यह भी परामर्श दिया गया कि अनुसूचित जाति के बसावटों में पथ निर्माण की जो योजना ली गयी है उन में inter locking tiles वाले सड़क लिये जायें ।

4.2 पुराने कार्यरत योजनाएँ बहुत बड़े पैमाने पर लम्बित हैं । MIS भी अद्यतन नहीं है । इन सभी पर सुधार लाने के लिए मार्ग निर्देश दिये गये ।

(अमृत लाल मीणा)
सचिव ।

ज्ञापांक- 160/सी0/147926 पटना, दिनांक- 14.05.2013

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचि

ज्ञापांक- 160/सी0/147926 पटना, दिनांक- 14.05.2013

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, मधुबनी/उप विकास आयुक्त, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव

ज्ञापांक- 160/सी0/147926 पटना दिनांक- 14.05.2013

प्रतिलिपि: आयुक्त, मनरेगा / आयुक्त स्वरोजगार / अपर सचिव / श्री अतुल कुमार वर्मा, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचि